DELHI SARKARI RATION DEALER'S SANGH - DELHI
Office : Shop No. 2 & 3, C-4, DDA Market, First Floor, Lawrance Road, Keshavpuram, Delhi-110035
E-mail : dsrdsdelhi@gmail.com
Website : www.dsrdsdelhi.com
DSRDS

SHIV KUMAR GARG
President
9212567435

JAGDISH PRASHAD
Sr. Vice President
9810406015

KUNJ BIHARI BANSAL
Vice-president
9810630323

SHYAM SUNDAR
Vice President
9911178848

SUNIL SHARMA
Vice President
9310023180

MANOJ SHARMA
Vice President
9582203929

HARI KRISHAN (LILU)
Vice-President
9212442834

SITA RAM
Gen. Secretary
9312238830

RAJNEESH SHARMA
Secretary
9818569678

SAURABH GUPTA
Secretary
9810943745

MATLOOB ALAM
Secretary
9818946781

MANJEET KAUR
Secretary
9210565722

RAHUL AGGARWAL
Cashier
9871420213

Ref. : DSRDS-DELHI/2018/NO. 54-58 *Date :* 14-11-18

सेवा में,

श्री आयुक्त महोदय,
खाद्य एंव सम्भरण विभाग, दिल्ली सरकार,
के ब्लाक, विकास भवन, आई पी एस्टेट,
दिल्ली-110002

विषय: आदेश संख्या No.F28(4)/2008/F&S/P&C/1042-1049, Dated 31/10/2018 व No.F28(4)/2008/F&S/P&C/1-25, Dated 02/01/2009 के सन्दर्भ में।

महोदय,

दिल्ली में उचित दर दुकानदारों के लिये हाल ही में विभाग से जारी आदेश संख्या No.F28(4)/2008/F&S/P&C/1042-1049, Dated 31/10/2018 (आदेश प्रतिलिपि संलग्न-I) को दिल्ली में लागू करने पर उचित दर दुकानदारों के समक्ष आने वाली कठिनाईयों से आपको अवगत कराना चाहते है।

महोदय हम दुकानदारों को खाद्य सामग्री राशन कार्डधारियों को वितरित करने पर मात्र 70 पैसे प्रति किलो कमीशन दिया जाता है जो की इस महंगाई में दिल्ली जैसे शहर में बेहद ही कम है, जिसके लिए दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ- रजि. कई वर्षो से कई बार विभाग व सरकार को लिखित व मौखिक रूप से दुकानदारों के द्वारा सूचारू रूप से उचित दर दुकान को चलाने के लिए आने वाले खर्चों तथा दुकानदार की आर्थिक स्थिति से अवगत करा चुका है, हमें बडे दुख के साथ खुद को यह समझाना पडता है कि भारत की राजधानी होने के बाद भी दिल्ली में हम दुकानदारों की समस्याओं को नही सुना व न ही समझा जा रहा है।

(Receiving) Supply Office (F&S) Govt. of Delhi, Bhawan

पेज 2 देखें

पेज 1 का शेष

महोदय वर्ष-2014 में दिल्ली में उपभोक्ताओं के NFS राशन कार्ड बनाए गये थे, उस दौरान उन सभी आवेदकों की जांच की गयी थी जिन्होंने NFS राशन कार्ड बनवाने के लिये विभाग में आवेदन किया था, यह जांच विभाग के निरीक्षकों से न हो पाने के कारण दिल्ली सरकार के अन्य विभागों से क्षेणी बी व सी के कर्मचारियों को कहा गया था की वह अगर इस जांच में सहयोग करेंगे तो उन्हें 30 रूपये प्रति आवेदन पत्र की दर से विभाग देगा। (**आदेश प्रतिलिपि संलग्न-II**)

महोदय अब यह कार्य हम उचित दर दुकानदारों को इस प्रकार करना है, कि उन सभी राशन कार्डधारियों के त्रैमासिक अनुसार घर-घर जाकर जांचना है व विभाग के समक्ष उनका सत्यापन प्रस्तुत करना है कि वह राशन कार्डधारी अभी भी अपने राशन कार्ड में दिये गये आवासीय पते पर रहता है अथवा नही रहता।

महोदय जो सरकारी कर्मचारीयों को सरकार की ओर से पहले से ही मासिक आय दी जा रही थी उसके बाद भी वर्ष-2014 में इस कार्य के लिए विभाग के द्वारा प्रति आवेदन पत्र की दर से 30 रूपये दिये गये थे विभाग चाहे तो इस प्रकार से यह कार्य पुन: अपने कर्मचारीयों के माध्यम से करा सकता है।

महोदय मै आपका ध्यान इस ओर अवगत कराना चाहुंगा की आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (कंट्रोल आर्डर) 2001, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू होने के पश्चात दिनांक 20 मार्च 2015 को भारत सरकार के द्वारा जारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (कंट्रोल आर्डर) में भी इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिये उचित दर दुकानदार को अत्यधिक दूर रखा गया है।

महोदय दिल्ली में बाहर के राज्यों से आए हुए बहुत लोग रहते है, तथा सभी का अपना स्थाई आवास भी नहीं होता जिस कारण वह समय-समय में अपने व्यवसाय के अनुसार अपने आवास में परिवर्तन करते रहते है, किंतु राशन वह अपनी स्थाई दुकान से लेते है। जिसका परिणाम वर्ष-2018 में दिल्ली में लगी E-POS के समय सामने आया जिसमे राशन कार्डधारियों के द्वारा Portability के माध्यम से अपनी निकट की उचित दर दुकान से राशन लेकर दिखाया। महोदय दिल्ली में लगभग सभी राशन कार्ड आधार कार्ड (UIDAI) के सत्यापन से बनाए गये है, जो यह दर्शाता है कि वह सभी राशन कार्डधारी कहीं तो रहते है, और प्रत्येक माह अपना खाद्यान्न उचित दर दुकान से लेकर जाते है। महोदय यह आदेश संख्या No.F28(4)/2008/F&S/P&C/1042-1049, Dated 31/10/2018 को **दिल्ली में लागू करने पर दुकानदार**

पेज 3 देखें

को घर-घर जाकर जांच करनी होगी। कि जिन राशन कार्डधारियों को हमने राशन वितरित किया है वह अपने आवासीय पते पर रहते है या नही, और अगर वह राशन कार्डधारी रहता हुआ नहीं पाया गया तो उसकी आपूर्ती को विभाग द्वारा रोका जाएगा व उसका राशन कार्ड रद्द किया जाएगा यह **सब आपके आदेश के अनुसार मात्र एक दुकानदार की जांच पर होगा** जिसके विभिन्न परिणाम सामने आयेंगे।

1. दिल्ली में राशन दुकानदार का राशन कार्डधारियों के बीच एक खौफ पैदा हो जाएगा।
2. राशन दुकानदारो के साथ कुछ शैतान लोगों के द्वारा हाथा पाई की जा सकती है।
3. दुकानदार को हर राजनैतिक पार्टी अपनी विपक्षी पार्टी से जोडकर देखेगी।
4. कुछ कार्डधारी अपने सह-कार्डधारियों से दुकानदार के माध्यम से आपसी रंजिश निकालेंगे।

महोदय यह तो सिर्फ मात्र कुछ समस्याएं है इसके अतिरिक्त ना जाने इनके साथ कितनी ओर समस्याएं उत्पन्न होंगी, दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ- रजि. आपसे यह आशा रखता है कि आप इसमें जल्द से जल्द संज्ञान लेते हुए इस आदेश को तुरंत प्रभाव से रद्द करे।

नोट: सम्बन्धित विषय से कोई भी पत्राचार 45, गौतम नगर नई दिल्ली – 110049 पर करे।

भारतीय डाक India Post

धन्यवाद,

O/C **(सौरभ गुप्ता)**

सचिव

दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ- रजि

भारतीय डाक India Post

प्रतिलिपि:-

1. माननीय उप-राज्यपाल, दिल्ली, 6, राज निवास दिल्ली।
2. माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय दिल्ली।
3. माननीय खाद्य मंत्री, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय दिल्ली।
4. माननीय खाद्य मंत्री, भारत सरकार, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

O/C **(सौरभ गुप्ता)**

सचिव

दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ- रजि.

मुख्यमंत्री कार्यालय (सहायता कक्ष) 14 NOV 2013

RECEIVED 14/11/13

ANNEXURE - I

DEPARTMENT OF FOOD, SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS
'K' BLOCK, VIKAS BHAWAN, I.P. ESTATE,
NEW DELHI-110 002
(POLICY BRANCH)

No.F.28(4)/2008/F&S/P&C/1042-1049 Dated: 31/10/2018

Sub: Directives for field visits by FPS holders.

In order to streamline the system of delivery of SFA's to the card holdes and also to make the system more accountable and responsive, directives given vide No.F28(4)/2008/F&S/P&C/1-25 dated 02.01.2009 , the relevant portion of the order is reiterated as under to strict compliance:-

1. Each FPS holder shall personally carry out a survey of all uses of consumer cards for SFA's in his notified area.

2. He will certify at the end of each quarter i.e. January-March, April-June, July-September, October-December, that he has personally met the Head of Family of each consumer card user, verified his address and ascertained the location of his residence. The FPS holders should take the signature of Head of family while doing this exercise. This exercise shall be regularly carried out and a final report shall be given at the end of each quarter, within fiftenn days thereof, to the FSO on a performa prescribed from time to time with certification of its authenticity. Abstracts thereof will be sent to Head quarters by the Assistant Commissioners of the Zones.

3. For the purpose of survey the FSO will permit the FPS holder to close his shop during the lean period of distribution of SFAs. Adequate advance public notice of the closure of the shop for a specified time will be affixed by the FPS on the door of the shop as and when the shop is closed for such field visit. Such notice of closure will be signed by the FSO.

4. The FSOs shall fortnighyly monitor the progress of field visits by the FPS holders. He shall peruse the reports given by them. Where Heads of family (HOF) are not verified or the consumer card user not found residing at a given address or his address cannot be located – in all such cases the FSO shall forthwith suspend distribution of SFAs on the such consumer card. Further field verification shall be carried out and if the HOF is still not identified, then such card shall be cancelled. The Assistant Commissioner of the Zone shall ensure proper supervision and regular reporting by the FSOs in their Zones.

ANNEXURE – II

URGENT:

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF FOOD, SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS
K-BLOCK, VIKAS BHAWAN, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002
(POLICY BRANCH)

No. F. 3(40)/2013-F&S/P&C/Part-File/76-83 Dated: 29-1-14.

To,

All Head of Departments,
Govt. of NCT of Delhi,
New Delhi.

Sub: Verification of households under National Food Security Act-2013

Sir/Madam,

National Food Security Act-2013 has been implemented in Delhi W.e.f. 01.09.2013. The applications were invited from the eligible households to apply for National Food Security Card to avail the benefit under the Act. Around 15 Lakhs applications have been received by the department. Due to shortage of staff of Food and Supplies, it has been decided that willing Group B and C officers/Officials (of the rank of UDC and above) working in the others departments of Govt. of NCT of Delhi may be engaged for verification of applications forms received under NFSA-2013.The verification of forms would be carried out by the serving employees only after the normal office working hours and on holidays near their place of residence. They would be paid honorarium of Rs.30/- (Rupees Thirty Only) per form. Employees of Government Departments, Govt. of NCT of Delhi only will be deployed for verification and not the government undertakings/ corporations.

All HODs are requested to circulate amongst the eligible staff of their Department to submit their application duly forwarded by their Controlling Officers in the prescribed Performa along with attested copy of their I.D. Card (copy enclosed) latest by 31.01.2014. The Performa is also available on the website www.fs.delhigovt.nic.in

The names of willing Group B and C officers/Officials may be forwarded to Assistant Commissioner (Admn), F&S Department, latest by 14.02.2014. Names of the willing officials which have not been forwarded by their Controlling Officers will not be entertained.

(ARUN GOYAL)
PR. SECRETARY-CUM- COMMISSIONER (F&S)

No. F. 3(40)/2013-F&S/P&C/Part File/76-83 Dated: 29-1-14

Copy endorsed to:-

1. ACT/Zonal Assistant Commissioner, F&S Deptt.
2. Assistant Commissioner (Admin.) / NFSA
3. Sr. Accounts Officer, F&S.
4. System Analyst, F&S Hqs
5. All Circle FSOs through concerned Zonal ACs
6. P.S. to CFS/ SPL C.F.S
7. P.A. to Jt. Commissioner

(V. K. TIWARI)
SUPERINTENDENT (P&C)